म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम
पर्यटन भवन, भदभदा रोड,
भोपाल- 462003

निविदा क्रमांक-12400/संपदा-विधि/प.वि.नि./16 **दिनांक 19/10/2016**

सिस्टम न. 824

मैरिज गार्डन टूरिस्ट्र मोटल कटनी को किराये पर देने हेतु निविदा प्रपत्र- निविदा एवं शर्ते

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई टूरिस्ट मोटल, कटनी के मैरिज गार्डन (मैरिज गार्डन में दो कक्ष एक स्टोर रुम एक किचिन) को पांच वर्षो के लिए किराये पर दिये जाने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निम्मानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :-

1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	18/11/2016 सायं 05:00 बजे तक
2	ऑनलाईन तकनीकी दस्तावेज एवं धरोहर राशि (आनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि	21/11/2016 सायं 05:00 बजे तक
3	ऑनलाईन तकनीकि दस्तावेज खोले जाने की तिथि	22/11/2016 11:00

निविदा प्रक्रिया की शर्ते :-

1. (अ) निविदा शुल्क राशि रूपये 2000/- एवं ई-टेन्डरिंग चार्ज का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा ऑनलाईन करना होगा। यह राशि वापस नही होगी।

   (ब) धरोहर राशि रूपये 5.00 लाख का भुगतान भी आनलाईन करना होगा। योग्य संस्था को छोड़कर शेष संस्थाओं की राशि 45 दिन के भीतर वापिस कर दी जायेगी।

3. सफल निविदाकर्ता को 15 दिवस के अन्दर अनुबंध निष्पादित करना होगा अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा, तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

4. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा 15 दिवस कि समय सीमा में अनुबंध निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो द्वितीय सफल

निविदाकर्ता को सफल निविदाकर्ता द्वारा देय राशि पर अनुबंध निष्पादित करने हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

5. सफल निविदा कर्ता के साथ किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।

6. निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा) समस्त दस्तावेजों सहित एक लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जावेगा। तकनीकी निविदा के साथ निविदाकर्ता के आधार कार्ड की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे पर "तकनीकी निविदा प्रपत्र" अंकित किया जावे। तकनीकी निविदा का लिफाफा निर्धारित तिथि/समय के भीतर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल में जमा करना होगा।

7. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना हैः-

   (1) सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र सहित) ....

   (2) आयकर विभाग का पेन क्रमांक (प्रमाण पत्र सहित)............................

8. विगत तीन वर्षो (2013-14, 2014-15, एवं 2015-16,) की (Balance Sheet) एवं उक्त वर्षो का सी.ए. से सर्टिफाईड टर्नओवर सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। अंतिम वर्ष 2015-16 से संबधित व्यावसायिक गतिविधियों का टर्न ओवर रूपये 15.00 लाख अथवा इससे अधिक होना चाहिए। जो कि सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

9. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शर्तो के अनुसार रूपये 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।

11. प्राप्त निविदा पत्रों को मान्य/अमान्य करने एवं निविदाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक महोदय को होगा।

12. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई टूरिस्ट मोटल, कटनी के मैरिज गार्डन का अवलोकन कार्यालयीन समय में इकाई में जाकर किया जा सकता है।

13. बिना धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के प्राप्त निविदा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

14. तकनीकी रूप से योग्य/सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय निविदाऐं खोली जावेगी। खोली गई निविदा में अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता को सफल निविदाकर्ता मान्य किया जावेगा।

15. टूरिस्ट मोटल, कटनी का मैरिज गार्डन 5 वर्ष की अवधि के लिये किराये से दिया जाना है।

16. प्रथम वर्ष के पश्चात किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। जो कि

प्रथम वर्ष के समाप्त होने के एक माह पूर्व एक मुश्त मय सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों से अग्रिम जमा करनी होगी। यही शर्त तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष के लिये भी लागू होगी।

17. उपरोक्त किराये का अभिप्राय लीज नहीं है ।

18. सफल निविदाकर्ता को निविदा में भरी गई प्रथम वर्ष के किराये की वार्षिक राशि एवं सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों से अनुबंध के समय एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा।

19. सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों की राशि का भुगतान न करने पर अनुबंध अमान्य होगा। वार्षिक किराये की राशि के साथ सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों की राशि जमा न करने पर अग्रिम वार्षिक किराये की राशि में से सर्वप्रथम सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों की राशि समायोजित की जावेगी।

20. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष का किराया सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों की राशि के साथ प्रतिवर्ष अग्रिम भुगतान करना होगा। अग्रिम भुगतान प्राप्त न होने पर निगम को मैरिज गार्डन खाली कराकर अधिपत्य लेने का अधिकार होगा एवं ऐसी दशा में यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा कोई अग्रिम बुकिंग की जाती है, तो उसके हर्जाने के लिए निविदाकर्ता स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

21. ऐसी अग्रिम बुकिंग, जो कि पर्यटन निगम द्वारा पहले से ही की जा चुकी है, उन तिथियों में संबंधित निविदाकर्ता को निगम द्वारा पूर्व में की गई बुकिंग के अनुसार निर्धारित शर्तों के अंतर्गत मैरिज गार्डन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

22. सफल निविदाकर्ता को केवल मैरिज गार्डन उपयोग करने की अनुमति होगी मैरिज गार्डन के अतिरिक्त होटल की किसी अन्य सम्पत्ति अथवा भवन का उपयोग किरायेदार द्वारा बिना निर्धारित अग्रिम भुगतान के नहीं किया जावेगा।

23. मैरिज गार्डन में किसी भी प्रकार के अस्थाई/आंशिक परिवर्तन के पूर्व म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

24. मैरिज गार्डन के उपयोग पर यदि किसी प्रकार का कर म.प्र. शासन अथवा नगर पालिक निगम अथवा शासन के किसी भी विभाग द्वारा लगाये जाते है तो उसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।

25. सफल निविदाकर्ता को केवल मैरिज गार्डन के साथ अस्थाई किचन (जो की मैरिज गार्डन केम्पस में निर्मित है) का उपयोग करने की पात्रता होगी।

26. सफल निविदाकर्ता द्वारा निम्नानुसार अग्रिम किराये के पोस्ट डेटेड चेक अनुबंध के समय जमा करना अनिवार्य होगा (**द** में दर्शाए गए अनुसार) जो कि अनुबंध की शर्त के अनुसार प्रत्येक वर्ष के एक माह पूर्व की तिथी के पोस्ट डेटेड चैक जमा करने होगें :-

किराया अवधि	**अ**	**ब**	**स**	**द (अ, ब, स का योग)**
द्वितीय वर्ष का किराया	प्रथम वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
तृतीय वर्ष का किराया	द्वितीय वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
चतुर्थ वर्ष का किराया	तृतीय वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
पंचम वर्ष का किराया	चतुर्थ वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल

27. अनुबंधित अवधि के अंतर्गत मैरिज गार्डन की रिपेयर्स एवं मेन्टीनेंस (मुख्यतः घास, पेड-पौधे तथा हार्टीकल्चर) हाउस कीपिंग का कार्य किरायेदार द्वारा कराया जावेगा, यदि किरायेदार द्वारा मैरिज गार्डन का रिपेयर मिन्टीनेंस नहीं किया जाता है तो म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, किरायेदार की प्रतिभूति में से राशि काट कर रख-रखाव एवं मेन्टीनेंस आदि का कार्य कराने के लिये स्वतंत्र होगा।

28. किरायेदार को मैरिज गार्डन की साफ-सफाई स्वयं के व्यय पर करानी होगी।

29. यदि किरायेदार द्वारा अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा इकाई के प्रांगण में किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाई जाती है, तो उसकी भरपाई के लिये किरायेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

30. किरायेदार को म.प्र. शासन द्वारा स्थापित शॉप एण्ड एस्टेवलिशमेंट (स्थापना) एक्ट का पालन करना होगा एवं शासन द्वारा निर्धारित सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होगे एवं उनकी एक छायाप्रति इकाई में जमा करनी होगी।

31. किरायेदार मैरिज गार्डन में संचालित गतिविधियों से संबंधित शिकायत-पुस्तिका परिसर में सुलभ स्थल पर रखेगा जिसमें मैरिज गार्डन का उपयोग करने वाली पार्टी अपने रिमार्क अंकित कर सकेगें।

32. किरायेदार किसी भी दशा में मैरिज गार्डन को किसी दूसरी संस्था के साथ

हिस्सेदारी (सबलेटिंग) नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

33. किरायेदार म.प्र. शासन द्वारा स्थापित श्रम नियमों का आवश्यक रूप से पालन करेगा।

34. किरायेदार मेरिज गार्डन में सर्विस हेतु जिन कर्मचारियों को रखेगा वे अच्छे चरित्र वाले एवं ग्राहक के साथ कुशल व्यवहार वाले होना आवश्यक होंगे। किरायेदार द्वारा कर्मचारियों की सूची होटल प्रबंधक को सौंपनी होगी। सूची के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारी मैरिज गार्डन में सर्विस हेतु प्रवेश नहीं करेगा। उक्त सभी कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन करा कर रिपार्ट होटल प्रबंधक को सौंपनी होगी।

35. किरायेदार द्वारा रखे गये कर्मचारी किसी भी दशा में टूरिस्ट मोटल, कटनी के किसी भी अतिथि के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगें, इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता पर होगा।

36. किरायेदार को म.प्र. विद्युत बोर्ड से मैरिज गार्डन में विद्युत के उपयोग हेतु अलग से विद्युत कनेक्शन लेना होगा।

37. टूरिस्ट मोटल, कटनी की ओर से मैरिज गार्डन में की जाने वाली पार्टीयों अथवा किसी भी प्रकार के आयोजन के लिये जल प्रदाय नहीं किया जावेगा। अतः किरायेदार को पेयजल अथवा अन्य उपयोग के लिये जल एवं जल के भंडारण की व्यवस्था करनी होगी।

38. किरायेदार के निवेदन पर टूरिस्ट मोटल, कटनी की ओर से टेलीफोन सुविधा इकाई के ई.पी.बी.एक्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसका लोकल काल का किराया रू 3.00 एवं एस.टी.डी. के लिये होटल द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किरायेदार को करना होगा।

39. किरायेदार अथवा उसका कर्मचारी किसी भी दशा में होटल की जल निकासी, ड्रेनेज आदि में रूकावट डालकर बाधित नहीं करेंगे। यदि ऐसा पाया जाता हैं तो ड्रेनेज सिस्टम की साफ-सफाई एवं मरम्मत का व्यय किरायेदार को देना होगा।

40. किरायेदार को मैरिज गार्डन के भीतर अग्नि सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध करने होगे। आवश्यक अग्नि शमन यंत्रो का प्रबंध करना होगा एवं न्यूडवायर्स तथा लूज विद्युत कनेक्शन पर कडाई से रोक लगानी होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये किरायेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायो का कभी भी होटल प्रबंधन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।

41. किरायेदार मैरिज गार्डन में ज्वलनशील पदार्थो का न तो स्टोर करेगा और ना

ही उनका उपयोग करेगा। आतिशबाजी आदि की अनुमति होटल प्रांगण में नहीं होगी।

42. किरायेदार के कर्मचारियों को अग्नि शमन यंत्रो के संचालन की जानकारी होनी आवश्यक होगी।

43. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से टूरिस्ट मोटल, कटनी को उसी दिन मैरिज गार्डन की आवश्यकता होती है, जिस दिन किरायेदार की पार्टी की भी बुकिंग होगी, तो इन परिस्थितियों में टूरिस्ट मोटल, कटनी किरायेदार को कोई अन्य वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराकर टूरिस्ट मोटल, कटनी अपने मैरिज गार्डन को उपयोग करने के लिये स्वंतत्र होगा। परन्तु इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी।

44. किरायेदार द्वारा आयोजित की जाने वाली पार्टी एवम् आयोजन की सुरक्षा तथा पार्किंग स्थल की निगरानी के लिये सुरक्षा गार्ड का प्रबंध किरायेदार को स्वयं करना होगा।

45. अनुबंधित मैरिज गार्डन के लिये पर्यटन विकास निगम द्वारा यदि पूर्व में कोई अग्रिम आरक्षण किया गया होगा तो उक्त राशि सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाली राशि में समायोजित की जावेगी। किसी भी स्थिति में निगम द्वारा की गई अग्रिम बुकिंग को निविदाकर्ता द्वारा अमान्य नहीं किया जावेगा।

46. सफल निविदाकर्ता के आधिपत्य वाले मैरिज गार्डन की आवश्यकता निगम को अथवा निगम के कर्मचारी को होती है तो सफल निविदाकर्ता 50 प्रतिशत डिस्काउन्ट अनिवार्य रूप से देगा।

47. निविदाकर्ता एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर सचिव पर्यटन, म.प्र. शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

48. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

49. दोनों पक्षकार **03 माह** के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सकते है। यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा **03 माह** से कम समय का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जाता है तो सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

50. ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण के संबंध में शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

51. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रू 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) धरोहर राशि के रूप में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जावेगी, इस पर ब्याज देय नहीं होगा।

52. इकाई प्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को मैरिज गार्डन का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकारी होगा तथा डिफाल्टर की स्थिति में या शर्तों के उल्लंघन या शर्तों का पालन न करने की स्थिति में अनुबंध को निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

****

टूरिस्ट मोटल, कटनी का मैरिज गार्डन का निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य 2000/-

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता/संस्था का नाम : ....
2. पता : ....
....
....
3. दूरभाष क्रमांक : ....
मोबाईल : ....
4. अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
5. फर्म का प्रकार (प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी/पब्लिक लिमिटेड: ....
कम्पनी/साझेदारी फर्म/प्रोपराइटर फर्म) : ....
6. संचालक/साझेदार/मालिक का नाम: ....
7. सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक ....
8. आयकर विभाग का पेन क्रमांक ....
9. फूड लाईसेन्स क्रमांकः-...दिनांक......................
10. संस्था का स्थापना पंजीयनः-.....................................दिनांक.....................
13. विगत तीन वर्षो (2013-14, 2014-15, एवं 2015-16,) की (Balance Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। अंतिम वर्ष 2015-16 से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों का टर्न ओवर रूपये 15.00 लाख अथवा इससे अधिक होना चाहिए।
13. कम्पनी की दशा में मेमोरेण्डम Memorandum and Articles of Association संचालकों की सूची, साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी प्रलेख व साझेदारी का विवरण दिया जावे।

<u>संलग्न दस्तावेजों की सूची</u> :-

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

<u>घोषणा</u> :-

1. मैं घोषणा करता/करती हूॅ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। यदि निविदा मेरे पक्ष में रही तो सूचना मिलने के तुरन्त पश्चात निगम की इकाई में मैरिज गार्डन का आधिपत्य प्राप्त कर संचालन आंरभ कर दूंगा/दूंगी।
2. यदि मेरे द्वारा निविदा के नियम शर्तो का पालन नहीं किया जाता है, तो धरोहर राशि निगम को राजसात करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

<u>टूरिस्ट मोटल, कटनी का मैरिज गार्डन का निविदा प्रपत्र</u>

निविदा प्रपत्र का मूल्य 2000/-

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

<u>निविदा क्रमांक 12400/सपंदा-विधि/प.वि.नि./16 दिनांक 19/10/2016</u>

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)।

1. निविदाकर्ता/संस्था का नाम : ....
2. पता : ....
....
....
3. दूरभाष क्रमांक : ....
4. मैरिज गार्डन किराये पर लिये जाने हेतु किराये की वार्षिक राशि ....
(शब्दों मे)...सर्विस टैक्स अतिरिक्त)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

//अनुबंध का प्रारूप//

यह अनुबंध दिनांक .... को भोपाल में टूरिस्ट मोटल कटनी के मैरिज गार्डन को पांच वर्ष (5 वर्ष) के लिये किराये पर देने हेतु निष्पादित किया जा रहा है।

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम (एम.पी.एस.टी.डी.सी.) कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। इसका पंजीकृत कार्यालय पर्यटन भवन, भदभदा रोड,भोपाल है। इसको प्रथम पक्षकार के रूप में जाना जाएगा। पर्यटन निगम द्वारा........................... को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

एवम्

श्री मेसर्स...जिनको द्वितीय पक्षकार के रूप में जाना जाएगा, के मध्य निम्न शर्तानुसार अनुबंध निष्पादित किया जा रहा हैः-

1. टूरिस्ट मोटल, कटनी का मैरिज गार्डन 5 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक ....से ....तक किराये पर संचालन हेतु दिया जा रहा है।
2. टूरिस्ट मोटल कटनी के मैरिज गार्डन का प्रथम वर्ष (...................... से .... तक) का किराया वित्तीय प्रस्ताव अनुसार राशि रू ..../- कर अतिरिक्त निर्धारित है। **(राशि रू ..../- रसीद क्र .... दिनांक .... निगम मुखयालय भोपाल जमा है)**
3. **प्रथम वर्ष के पश्चात किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी, जो कि वर्ष समाप्त होने के एक माह पूर्व एक मुश्त मय सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों के अग्रिम जमा करनी होगी। यही शर्त तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष के लिये भी लागू होगी।**
4. उपरोक्त किराये का अभिप्राय लीज नहीं है ।
5. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष का किराया सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों की राशि के साथ अग्रिम भुगतान न करने पर निगम को मैरिज गार्डन खाली कराकर आधिपत्य लेने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा एवं ऐसी दशा में यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा कोई अग्रिम बुकिंग की जाती है, तो उसके हर्जाने के लिए द्वितीय पक्षकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
6. ऐसी अग्रिम बुकिंग, जो कि पर्यटन निगम द्वारा पहले से ही की जा चुकी है, उन तिथियों में संबंधित पार्टीज को निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ मैरिज गार्डन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. द्वितीय पक्षकार को केवल मैरिज गार्डन उपयोग करने की अनुमति होगी मैरिज गार्डन के अतिरिक्त होटल की किसी अन्य सम्पत्ति अथवा भवन का उपयोग द्वितीय पक्षकार द्वारा बिना निर्धारित अग्रिम भुगतान के नहीं किया जावेगा।
8. मैरिज गार्डन में किसी भी प्रकार के अस्थाई/आंशिक परिवर्तन के पूर्व म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. मैरिज गार्डन के उपयोग पर यदि किसी प्रकार का कर म.प्र. शासन, नगर पालिक निगम अथवा शासन के किसी विभाग द्वारा लगाये जाते है तो उसका भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा ही किया जावेगा।
10. द्वितीय पक्षकार को केवल मैरिज गार्डन के साथ अस्थाई किचन (जो की मेरिज गार्डन केम्पस में निर्मित है) एवं दो कक्ष का उपयोग करने की पात्रता होगी। (संलग्न नक्शानुसार)
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा द्वितीय वर्ष का किराया 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रथम वर्ष की समाप्ति के एक माह पूर्व एक मुश्त अग्रिम मय सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों को जमा करना अनिवार्य होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा, ठीक इसी प्रकार तृतीय वर्ष के लिये भी द्वितीय वर्ष की बढ़ी हुई राशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। इसी तरह चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिये किराया पूर्व वर्ष के किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर मय सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर निर्धारित दरों को **टूरिस्ट मोटल कटनी** में जमा करना होगा।
12. निर्धारित अवधि के अंतर्गत मैरिज गार्डन की रिपेयर्स एवं मेन्टीनेंस (मुख्यतः घास, पेड-पौधे तथा हार्टीकल्चर) हाउस कीपिंग द्वितीय पक्षकार द्वारा कराया जावेगा, यदि आवश्यकता होने पर किरायेदार द्वारा मैरिज गार्डन का रिपेयर मिन्टीनेस नहीं किया जाता है तो म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, द्वितीय पक्षकार की प्रतिभूति राशि में से काट कर रख-रखाव एवं मेन्टीनेंस आदि का कार्य कराने के लिये स्वतंत्र होगा।
13. द्वितीय पक्षकार द्वारा मैरिज गार्डन की साफ-सफाई स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
14. यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा होटल के प्रांगण में किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाई जाती है, तो उसकी भरपाई के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं उत्तरदायी होगा।

15. द्वितीय पक्षकार को म.प्र. शासन द्वारा स्थापित शॉप एण्ड एस्टेवलिशमेंट (स्थापना) एक्ट का पालन करना होगा।

16. द्वितीय पक्षकार द्वारा मैरिज गार्डन में संचालित गतिविधियों से संबंधित शिकायत-पुस्तिका स्थल पर रखेगा जिसमें मेरिज गार्डन का उपयोग करने वाले कस्टमर्स अपने रिमार्क अंकित कर सकेगें।
17. द्वितीय पक्षकार द्वारा किसी भी दशा में मैरिज गार्डन को किसी दूसरी संस्था के साथ हिस्सेदारी (सबलेटिंग) नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
18. द्वितीय पक्षकार म.प्र. शासन द्वारा स्थापित श्रम नियमों का आवश्यक रूप से पालन करेगा।
19. द्वितीय पक्षकार मैरिज गार्डन में सर्विस हेतु जिन कर्मचारियों को रखेगा वे अच्छे चरित्र वाले एवं ग्राहक के साथ कुशल व्यवहार वाले होना आवश्यक होंगे। द्वितीय पक्षकार द्वारा कर्मचारियों की सूची होटल प्रबंधक को सौंपनी होगी। सूची के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारी मैरिज गार्डन में सर्विस हेतु प्रवेश नहीं करेगा।
20. द्वितीय पक्षकार द्वारा रखे गये कर्मचारी किसी भी दशा में टूरिस्ट मोटल, कटनी के किसी भी अतिथि के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, इसका उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार पर होगा।
21. द्वितीय पक्षकार को म.प्र. विद्युत बोर्ड से मैरिज गार्डन में विद्युत के उपयोग हेतु अलग से विद्युत कनेक्शन लेना होगा।
22. टूरिस्ट मोटल, कटनी की ओर से मेरिज गार्डन में की जाने वाली पार्टीयों अथवा किसी भी प्रकार के आयोजन के लिये जल प्रदाय नहीं किया जावेगा। अतः द्वितीय पक्षकार को पेयजल एवं उसके भडांरण अथवा अन्य उपयोग के लिये जल की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
23. द्वितीय पक्षकार के निवेदन पर टूरिस्ट मोटल, कटनी की ओर से टेलीफोन सुविधा इकाई के सी.पी.बी.एक्स. के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसका लोकल काल का किराया रू. 3.00 एवं एस.टी.डी. के लिये होटल द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार को करना होगा।
24. द्वितीय पक्षकार अथवा उसका कर्मचारी किसी भी दशा में मोटल की जल निकासी, ड्रेनेज आदि में रूकावट डालकर बाधित नहीं करेंगे। यदि ऐसा पाया जाता हैं तो ड्रेनेज सिस्टम की साफ-सफाई का व्यय द्वितीय पक्षकार को देना होगा।

25. द्वितीय पक्षकार को मेरिज गार्डन के भीतर अग्नि सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध करने होगे। आवश्यक अग्नि शमन यंत्रो का प्रबंध करना होगा एवं न्यूडवायर्स तथा लूज विद्युत कनेक्शन पर कड़ाई से रोक लगानी होगी। दुर्घटना के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायो का कभी भी होटल प्रबंधन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।
26. द्वितीय पक्षकार मेरिज गार्डन में ज्वलनशील पदार्थो का न तो स्टोर करेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा। आतिशबाजी आदि की अनुमति होटल प्रांगण में नहीं होगी।
27. द्वितीय पक्षकार के समस्त कर्मचारियों को अग्नि शमन यंत्रो के संचालन की जानकारी होनी आवश्यक होगी।
28. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से टूरिस्ट मोटल, कटनी को उसी दिन मेरिज गार्डन की आवश्यकता होती है, जिस दिन द्वितीय पक्षकार की पार्टी की भी बुकिंग होगी, तो इन परिस्थितियों में टूरिस्ट मोटल, कटनी द्वितीय पक्षकार को कोई अन्य वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराकर टूरिस्ट मोटल, कटनी अपने मेरिज गार्डन को उपयोग करने के लिये स्वंतत्र होगा। परन्तु इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी।
29. द्वितीय पक्षकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पार्टी एवम् आयोजन की सुरक्षा तथा पार्किंग स्थल की निगरानी के लिये सुरक्षा गार्ड का प्रबंध स्वयं द्वितीय पक्षकार को करना होगा।
30. अनुबंधित मेरिज गार्डन के लिये पर्यटन विकास निगम द्वारा यदि पूर्व में कोई अग्रिम आरक्षण किया गया होगा तो उक्त राशि द्वितीय पक्षकार द्वारा भुगतान किये जाने वाली राशि में समयोजित की जावेगी। किसी भी स्थिति में निगम द्वारा की गई अग्रिम बुकिंग को द्वितीय पक्षकार द्वारा अमान्य नहीं किया जावेगा।
31. द्वितीय पक्षकार के आधिपत्य वाले मेरिज गार्डन की आवश्यकता निगम को अथवा निगम के कर्मचारी को होती है तो द्वितीय पक्षकार 50 प्रतिशत डिस्काउन्ट अनिवार्य रूप से देगा।
32. द्वितीय पक्षकार एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर सचिव पर्यटन, म.प्र. शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
33. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

34. ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण के संबंध में शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
35. दोनों पक्षकार चार माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सकते है यदि .... से कम समय का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जाता है तो सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
36. द्वितीय पक्षकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रू .... लाख (रूपये .... लाख रसीद क्र .... में जमा है) धरोहर राशि के रूप में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जावेगी, इस पर ब्याज देय नहीं होगा।

द्वितीय पक्षकार

....

....

गवाहः-

1..

2..

प्रथम पक्षकार

....

....

गवाहः-

1..

2..